"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 जनवरी 2016 — पौष 30, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्रमांक 715/डी. 25/21-अ/प्रारू./छ.ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-01-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 6 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 47 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 47 की उप-धारा (4) में, शब्द "पांच" के स्थान पर, शब्द "तीन" प्रतिस्थापित किया जाये.

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्र. 2 सन् 2015) को एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्रमांक 715/डी. 25/21-अ/प्रारू./छ.ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-01-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2016)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015. **Short title, extent and commencement.**

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-section (4) of Section 47 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), for the word "five", the word "three" shall be substituted. **Amendment of Section 47.**

3. The Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2015 (No. 2 of 2015) is hereby, repealed. **Repeal.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.